

कृषि निदेशालय, बिहार

आ० संख्या-6/स्था०प्र०/ए०सी०पी०-06/16

/क०, पटना, दिनांक 2017

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3 ए-2 वि०पु०-18/2009-7566 दिनांक 14.07.10 द्वारा रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन नियमावली द्वारा सरकारी सेवको को 10, 20 एवं 30 वर्ष की लगातार सेवा पूरी करने पर क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया। जिसकी प्रभावी तिथि 01.01.2009 निर्धारित की गई है।

उक्त संकल्प के आलोक में रूपान्तरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजनाके अन्तर्गत द्वितीय वृत्ति उन्नयन उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 4 में अंकित तिथि से नियमानुसार स्वीकृति दी जाती है:-

क्र० सं०	कर्मि का नाम/पदनाम/कार्यालय का नाम	प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की तिथि	द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री दिनेश कुमार पाठक, संवानिवृत्त, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, अररिया। वरीयता क्रमांक-179/2010	09.08.1999 के प्रभाव से वेतनमान 6500-10,500/- ग्रेड पे० 4800/- में पूर्व में प्राप्त है।	01.01.2009 से द्वितीय एम०ए०सी०पी० ग्रेड पे० 5400/-	

उपरोक्त निर्णय वित्त विभाग के पत्रांक-1947 दिनांक 04.03.11 द्वारा उक्त पत्रांक- के कंडिका 29 एवं 30 को विलोपित करने के आलोक में लिया गया है।

उपर्युक्त कर्मि के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित कर्मि को प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।

ह०/-

(हिमांशु कुमार राय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

क०, पटना, दिनांक- 2017

ज्ञापक-

प्रतिलिपि :- संबंधित संयुक्त निदेशक (शष्य)/ संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/संबंधित कोषागार/ संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

क०, पटना, दिनांक- 2017

ज्ञापक-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

क०, पटना, दिनांक- 06-7, 2017

ज्ञापक -

662 ✓

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग को कृषि विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।